



राजस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग  
मध्य प्रदेश

पंजीयन प्रमाणपत्र

पंजीकरण का विवरण

ई पंजीकरण संख्या	MP179092020A1681762
पंजीकरण की तिथि	21/10/2020
ई-पंजीयन प्रमाणपत्र के प्रिन्ट करने की तिथि	21/10/2020
संपत्ति का मूल्य(यदि लागू है)	892500
प्रतिफल राशि / प्रतिमूल राशि / प्रीमियम राशि (रुपये)	2000000
पंजीयन शुल्क (रुपये)	26775
कुल स्टाम्प शुल्क (रुपये)	101270
उप पंजीयक का नाम	VIVEK HIRDE
उप पंजीयक कार्यालय का नाम	उप पंजीयक कार्यालय इन्दौर ।

खरीदार- स्वयं


नाम श्री नरेन्द्र पाटीदार  
पिता/पति का नाम श्री रूखडु पाटीदार  
पता 573, सेटेलाइट टाउनशिप, निहालपुर मुण्डी, , इंदौर, मध्य प्रदेश, भारत

विक्रेता - स्वयं

नाम श्री आयुष धारमारे  
पिता/पति का नाम श्री अशोक धारमारे  
पता 13, खजुरी बाजार,, इंदौर, मध्य प्रदेश, भारत

Digitally signed  
by VIVEK HIRDE  
Date: 2020.10.21  
12:24:22 IST

उप पंजीयक के हस्ताक्षर





## स्टाम्प शुल्क का प्रमाण पत्र

### ई स्टाम्प विवरण

ई स्टाम्प कोड	01011720102020008401		
ई स्टाम्प राशि (रुपए)	101270		
शासकीय स्टाम्प ड्यूटी (रुपए)	55700	नगर पालिका ड्यूटी (रुपए)	20000
जनपद ड्यूटी (रुपए)	20000	उपकर राशि (रुपए)	5570
छूट दी गई राशि (रुपए)	0		
ई स्टाम्प का प्रकार	गेर न्यायिक		
निर्गमन तिथि एवं समय	20/10/2020 14:18:31		
यूजर आईडी / जारीकर्ता	Rahul Dwivedi/SP011743007201500569		
एस पी / एस आर ओ / डी आर ओ / एच ओ विवरण	206, Advocates Chamber 6 Sikh Mohalla, Near American Colour Lab, Indore इन्दौर इंदौर		

### डीड विवरण

विलेख का प्रकार लिखत	हस्तांतरण-पत्र हस्तांतरण-पत्र, जो ऐसे अंतरण के लिए नहीं है, जिसके लेखे क्रमांक 61 के अधीन प्रमार लगता है या छूट दी गई है.- उस संपत्ति, जो कि हस्तांतरण- पत्र की विषय-वस्तु है, " बाजार मूल्य गाइडलाइन " के अनुसार सम्पत्ति के मूल्य का 5 प्रतिशत तथा वास्तविक संव्यवहार मूल्य या बाजार मूल्य इनमे से जो भी अधिक हो, ऐसे अतिरिक्त भाग पर प्रभार्य शुल्क की दर 1 प्रतिशत नियत ।
-------------------------	--

उद्देश्य SALE DEED


### पहले पक्ष के विवरण

नाम	श्री आयुष धारमारे
पता	13, खजुरी बाजार,
व्यक्तियों की संख्या	1

### दूसरे पक्ष के विवरण

नाम	श्री नरेन्द्र पाटीदार
पता	573, सेटेलाईट टाउनशिप, निहालपुर मुण्डी,
व्यक्तियों की संख्या	1

।। जय श्रीकृष्ण ।। विक्रय-विलेख भूखण्ड, नगर परिषद् क्षेत्र राऊ, तहसील व जिला इंदौर (म.प्र.) के अन्तर्गत स्थित कॉलोनी "अवध वाटिका" का भूखण्ड क्रमांक 131





रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग  
मध्य प्रदेश

॥ जय श्रीकृष्ण ॥  
विक्रय-विलेख

यह विक्रय विलेख आज दिनांक को शहर इन्दौर में निष्पादित कर देने वाले -

श्री आयुष धारमारे पिता श्री अशोक धारमारे, PAN No. BGJPD0712J  
निवासी - 13, खजुरी बाजार,  
इन्दौर (म.प्र.)-----विक्रेतापक्ष

(जिन्हें इस विक्रय विलेख में सुविधा एवं संक्षिप्तता की दृष्टि से आगे "विक्रेतापक्ष" के नाम से सम्बोधित किया गया है) तथा

यह विक्रय पत्र लिखवा लेने वाले -


श्री नरेन्द्र पाटीदार पिता श्री रूखडु पाटीदार, PAN No. AOGPP7326E  
निवासी - 573, सेटेलाईट टाउनशिप, निहालपुर मुण्डी,  
इंदौर (म.प्र.)-----क्रेतापक्ष

(जिन्हें इस विक्रय विलेख में सुविधा एवं संक्षिप्तता की दृष्टि से आगे "क्रेतापक्ष" के नाम से सम्बोधित किया गया है) के हित में निम्नानुसार निष्पादित कर देते हैं कि:-

1. यह कि, विक्रेतापक्ष के एकमात्र स्वामित्व एवं आधिपत्य का भूखण्ड, नगर परिषद् क्षेत्र राऊ, तहसील व जिला इंदौर (म.प्र.) के अन्तर्गत स्थित कॉलोनी "अवध वाटिका" का भूखण्ड क्रमांक 131 यहाँ पर स्थित है। उक्त भूखण्ड विक्रेतापक्ष ने 1. श्री युगलकिशोर पिता श्री चतुर्भुज पाटीदार 2. श्री युवराज पिता श्री चतुर्भुज पाटीदार (क्रमांक 2 स्वयं एवं तर्फे अधिकृत आम मुखत्यार क्रमांक 1) से ई-पंजीकृत विक्रय-पत्र क्रमांक MP179092016A1499985 दिनांक 27/08/2016 के द्वारा विधिवत् रूप से क्रय किया है। इस प्रकार उक्त भूखण्ड को विक्रेतापक्ष द्वारा विक्रयरीति से अंतरित/हस्तांतरित करने का पूर्ण व वैधानिक अधिकार प्राप्त है। उक्त भूखण्ड का विस्तृत विवरण व चतुःसीमा निम्नानुसार है:-

विक्रीत भूखण्ड का विवरण व चतुःसीमा:-

2. विक्रय किया गया भूखण्ड, नगर परिषद् क्षेत्र राऊ, तहसील व जिला इंदौर (म.प्र.) के अन्तर्गत स्थित कॉलोनी "अवध वाटिका" का भूखण्ड क्रमांक 131 यहाँ पर स्थित है। उक्त भूखण्ड का साईज 7.00 मीटर बाय 15.00 मीटर होकर भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल 105.00 वर्गमीटर है। उक्त भूखण्ड खुला/रिक्त होकर उस पर किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं है। उक्त भूखण्ड आवासीय क्षेत्र में स्थित होकर आवासीय उपयोग-उपभोग





# मध्य प्रदेश

प्रस्तुति मुद्रा :

श्री आयुष धारमारे

पुत्र/आत्मज श्री अशोक धारमारे



के द्वारा उप जिला इन्दौर जिला इंदौर के उप पंजीयक कार्यालय में तारीख 21/10/2020 को मध्यान्ह पूर्व/मध्यान्ह पश्चात 12:00:21 बजे प्रस्तुत किया गया।

VIVEK DIGAMBAR HI  
उप पंजीयक  
उप पंजीयक कार्यालय इन्दौर

का है। उक्त भूखण्ड के निकास की स्वतंत्र व्यवस्था सामने की ओर स्थित कॉलोनी की रोड़ से है। उक्त विक्रीत भूखण्ड की चतुःसीमा निम्नानुसार है:-

पूर्व में: कॉलोनी का रोड़  
पश्चिम में: भूखण्ड क्रमांक 112  
उत्तर में: भूखण्ड क्रमांक 130  
दक्षिण में: भूखण्ड क्रमांक 132

उपरोक्त वर्णन व चतुःसीमा के मध्य स्थित खुला भूखण्ड मय तल जमीन के मालिकी अधिकारों सहित विक्रय किया जा रहा है, जिसे इस लेख में सुविधा के लिए संक्षेप में "उक्त सम्पत्ति" शब्द से संबोधित किया गया है।

3. यह कि, उपरोक्त विवरण व चतुःसीमा के मध्य स्थित सम्पत्ति मय तल जमीन के मालिकी हक्क के विक्रेतापक्ष द्वारा क्रेतापक्ष को कुल रूपये 20,00,000/- (अक्षरी रूपये बीस लाख मात्र) में विक्रय किया होकर संपूर्ण विक्रय प्रतिफल राशि रूपये 20,00,000/- (अक्षरी रूपये बीस लाख मात्र) क्रेतापक्ष ने विक्रेतापक्ष को निम्नानुसार अदा की है:-

रूपये 11,000.00 (अक्षरी रूपये ग्यारह हजार मात्र) पूर्व में विक्रेतापक्ष ने क्रेतापक्ष से नगदी प्राप्त कर लिये है।

रूपये 5,19,000.00 (अक्षरी रूपये पांच लाख उन्नीस हजार मात्र) पंजाब नेशनल बैंक, शाखा- निहालपुर मुण्डी, इन्दौर द्वारा RTGS UTR No. PUNBR52020092815215897 दिनांक 28/09/2020 के माध्यम से विक्रेतापक्ष ने क्रेतापक्ष से प्राप्त कर लिये है।

रूपये 14,70,000.00 (अक्षरी रूपये चौदह लाख सत्तर हजार मात्र) एलआईसी हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड द्वारा क्रेतापक्ष को स्वीकृत गृह ऋण पेटे जारी एक्सिस बैंक लिमिटेड के चेक/डीडी क्रमांक 481761 दिनांक 22/09/2020 का विक्रेतापक्ष ने क्रेतापक्ष से प्राप्त कर लिया है।

कुल रूपये 20,00,000.00 (अक्षरी रूपये बीस लाख मात्र)

उपरोक्तानुसार संपूर्ण विक्रय प्रतिफल की राशि क्रेतापक्ष से विक्रेतापक्ष ने प्राप्त कर ली है, इस प्रकार संपूर्ण विक्रय प्रतिफल की प्राप्ति की अभिस्वीकृति विक्रेतापक्ष इस विलेख को निष्पादित कर स्वीकार करते हैं। अब उभयपक्षों के मध्य इस विक्रय व्यवहार बाबद कोई लेन-देन शेष रहा नहीं है।

4. यह कि, उक्त विक्रीत सम्पत्ति का रिक्त एवं मूर्तिमन्त आधिपत्य विक्रेतापक्ष ने क्रेतापक्ष को मौके पर जाकर विधिवत रूप से सुपुर्द कर दिया है तथा क्रेतापक्ष द्वारा आधिपत्य प्राप्त कर लिया गया है। आधिपत्य प्राप्त होने की क्रेतापक्ष पुष्टि करते हैं।

5. यह कि, आज दिनांक के पश्चात् उक्त विक्रीत सम्पत्ति के संबंध में विक्रेतापक्ष के समस्त स्वत्व, हित, हक





निष्पादन की मुद्रा :

श्री नरेन्द्र पाटीदार

श्री आयुष धारमारे

पुत्र/आत्मज श्री रूखडु पाटीदार

पुत्र/आत्मज श्री अशोक धारमारे

पता: 573, सेटेलाईट टाउनशिप, निहालपुर मुण्डवी


पता: 13, खजुरी बाजार,

स्वीकार करते हैं कि कथित हस्तांतरण-पत्र विलेख का निष्पादन किया गया था और प्रतिफल के पूर्ण रूपए 2000000 प्राप्त हो गये हैं तथा रूपए 0 उन्हें मेरी उपस्थिति में चुकाये गये थे और प्रतिफल की बकाया रकम रूपए 0 बच गयी है, जो पंजीयन के बाद प्राप्त होगी।  
। तारीख 21/10/2020

VIVEK DIGAMBAR

उप पंजीयक

उप पंजीयक कार्यालय इन्





रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग  
मध्य प्रदेश

अधिकार आदि समाप्त हो गए होकर इस विक्रय विलेख के द्वारा क्रेतापक्ष को प्राप्त हो गए हैं। अब क्रेतापक्ष उक्त सम्पत्ति का अपनी स्वेच्छा से उपयोग, उपभोग करने के अधिकारी होंगे, जिसमें विक्रेतापक्ष, उनके वैधानिक उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि, प्रशासक, मुख्तयार या अन्य किसी व्यक्ति को उक्त सम्पत्ति के संबंध में किसी भी प्रकार की आपत्ति या बाधा उत्पन्न करने का अधिकार नहीं होगा। यदि किसी व्यक्ति द्वारा इस प्रकार की कोई बाधा या आपत्ति की जाने की दशा में अथवा भविष्य में कोई स्वामित्व दोष प्रकट होने पर उसका निराकरण करने का एकमात्र दायित्व विक्रेतापक्ष का होगा तथा वे ही ऐसी आपत्ति के निराकरण में होने वाले हर्जे-खर्चे के लिए उत्तरदायी होंगे।

6. यह कि, विक्रेतापक्ष स्पष्ट कथन करते हैं कि विक्रेतापक्ष ने उक्त सम्पत्ति को क्रेतापक्ष के अलावा अन्य किसी व्यक्ति अथवा संस्था को विक्रय, दान, बक्षीस, मेन्टेनेंस, गिरवी आदि द्वारा भारित या हस्तांतरित नहीं किया है और न ही इस पर किसी व्यक्ति अथवा संस्था का किसी प्रकार का हित, अधिकार/सुखाधिकार स्वत्व या दावा ही है। उक्त सम्पत्ति के स्वत्व, स्वामित्व या अन्य विषयक कोई प्रकरण अथवा कार्यवाही किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष लंबित नहीं है। उक्त सम्पत्ति बाबट कोई पारिवारिक विवाद भी विद्यमान नहीं है। बिक्रीत सम्पत्ति को पूर्णतः भार/विवाद रहित अवस्था में विक्रेतापक्ष द्वारा बिक्रीत किया जा रहा है। यदि फिर भी भविष्य में इस प्रकार का या अन्य प्रकार का कोई भार/व्यवहार पाया गया तो उसकी समस्त जवाबदारी विक्रेतापक्ष की रहेगी।


7. यह कि, उक्त संपत्ति किसी भी शासकीय योजना में सम्मिलित नहीं है और न ही इस बाबट कोई आशय पत्र ही जारी किया गया है। ओर न ही उक्त संपत्ति शासकीय पट्टेदारी, भू-दान अथवा देवस्थान की है। इस विक्रय व्यवहार में किसी प्रचलित विधान या विधान के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं होता है।

8. यह कि, उक्त सम्पत्ति पर पंजीयन दिनांक के पूर्व के समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय कार्यालयों, नगर परिषद् राऊ अथवा संस्था का कोई बकाया कर, विकास व्यय, मेन्टेनेन्स भार, दायित्व अथवा अन्य बकाया शुल्क आदि अदा करने का दायित्व विक्रेतापक्ष का होगा तथा पंजीयन दिनांक के पश्चात् लगने वाले देय करों का भुगतान क्रेतापक्ष करेंगे।

9. यह कि, उक्त सम्पत्ति क्रेतापक्ष स्वयं के व्यय से, समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय कार्यालयों, निकायों, संस्थाओं इत्यादि के यहाँ अपने नाम से नामांतरण करवा सकेंगे, जिसमें विक्रेतापक्ष की उपस्थिति, बयान आदि की आवश्यकता होने पर विक्रेतापक्ष हस्ताक्षर, उपस्थिति एवं बयान आदि हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान करने हेतु सदैव तत्पर रहेंगे।

10. यह कि, इस विक्रय विलेख में जहाँ-जहाँ भी " विक्रेतापक्ष" एवं "क्रेतापक्ष" के नाम का सम्बोधन किया गया है, उन शब्दों में उभयपक्षों के वैधानिक उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि, प्रशासक, मुख्तयार तथा उभयपक्षों के अंतर्गत, हित, अधिकार तथा दावा रखने वाले समस्त हितबद्ध व्यक्ति शामिल है। इस विलेख में जहाँ भी "उक्त सम्पत्ति" आदि शब्दों का संबोधन किया गया है, जिसका आशय बिक्रीत सम्पत्ति से है।

11. यह कि, इस विक्रय-विलेख के निष्पादन व पंजीयन का समस्त व्यय क्रेतापक्ष द्वारा वहन किया गया है।





रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग  
मध्य प्रदेश



गवाह मुद्रा :  
LOKESH RATHOD

पुत्र/आत्मज  
KAILASHCHANDRA

पता: 5 GODHA COLONY INDORE

ANKIT JAIN

पुत्र/आत्मज KIRTI KUMAR

पता: 37-38 BAIKUNTH DHAM COLONY  
INDORE

की जांच पूर्वोक्त निष्पादक / निष्पादकों की शिनाख्त के विषय में की गयी है । तारीख 21/10/2020

VIVEK DIGAMBAR HIRDE  
उप पंजीयक  
उप पंजीयक कार्यालय इन्दौर ।





राजस्ट्रीकरण एव स्टाम्प विभाग  
मध्य प्रदेश

12. यह कि, इस दस्तावेज के पंजीयन से रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 22(क) के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं होता है।

13. यह कि, उक्त संपत्ति के स्वत्व संबंधी असल दस्तावेज विक्रेतापक्ष ने क्रेतापक्ष को सौंप दिये है।

अतः यह विक्रय विलेख आज दिनांक को शहर इन्दौर में विक्रेतापक्ष व्दारा क्रेतापक्ष के हित में बिना किसी धौंस, दबाव या अनुचित प्रलोभन के, स्वस्थ शारीरिक एवं मानसिक अवस्था में, दो साक्षीगणों की उपस्थिति में अपने हस्ताक्षर कर निष्पादित कर दिया सो सही प्रमाण रहे।

इन्दौर, इति।

इस विलेख का प्रारूप उभयपक्षों व्दारा प्रदत्त माहिती एवं निर्देशानुसार मेरे व्दारा तैयार किया गया ।

RAHUL DWIVEDI, (सर्विस प्रोवाइडर)  
9826322703, 9826423703



राजस्ट्राकरण एवं स्टाम्प विभाग  
मध्य प्रदेश



अंगूठ चिन्ह मुद्रा :



इस दस्तावेज के निष्पादक श्री नरेन्द्र पाटीदार पुत्र/आत्मज श्री रूखड़ु पाटीदार के अंगूठे का निशान मेरे द्वारा/मेरी उपस्थिति में दिनांक 21/10/2020 को लिया गया ।

VIVEK DIGAMBAR HIRDE  
उप पंजीयक  
उप पंजीयक कार्यालय इन्दौर ।




इस दस्तावेज के निष्पादक श्री आयुष धारमारे पुत्र/आत्मज श्री अशोक धारमारे के अंगूठे का निशान मेरे द्वारा/मेरी उपस्थिति में दिनांक 21/10/2020 को लिया गया ।

VIVEK DIGAMBAR HIRDE  
उप पंजीयक  
उप पंजीयक कार्यालय इन्दौर ।

गवाह मुद्रा :



LOKESH RATHOD





रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग  
मध्य प्रदेश

संपत्ति विवरण अनुलग्नक

संपत्ति आईडी	1797202004970915
संपत्ति का प्रकार	भूखंड
संपत्ति का सीमा चिन्ह : --	
संपत्ति का पता : भूखण्ड, नगर परिषद क्षेत्र राऊ, तहसील व जिला इंदौर (म.प्र.) के अन्तर्गत स्थित कॉलोनी "अवध वाटिका" का भूखण्ड क्रमांक 131	
विकास खण्ड (विकास खंड) : --	
राजस्व निरीक्षक वृत्त : --	
लेआउट का विवरण : --	
नजूल / शीट क्रमांक : --	
भूखण्ड क्रमांक : --	

जिला	इंदौर
तहसील	इन्दौर
क्षेत्र प्रकार	नगरीय क्षेत्र
अधिशाली नगरीय निकाय : नगर पंचायत राउ	
वार्ड : वाल्मिकी नगर (राउ) (वार्ड- 6)	
ग्राम / मोहल्ला / कालोनी : अवध वाटिका	
भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	105
कुल क्षेत्रफल मे से आवासीय क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	105
कुल क्षेत्रफल मे से व्यावसायिक क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	--
कुल क्षेत्रफल मे से औद्योगिक क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	--
कुल क्षेत्रफल मे से नगर और ग्राम निवेश विभाग द्वारा अनुमोदित शैक्षिक इकाईयों का क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	--
क्या ले आउट टाउन एण्ड कंटीप्लानिंग द्वारा पारित किया गया	--
कुल क्षेत्रफल मे से नगर और ग्राम निवेश विभाग द्वारा अनुमोदित स्वास्थ्य सेवायों का क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	--
क्या ले आउट टाउन एण्ड कंटीप्लानिंग द्वारा पारित किया गया है?	--
कुल क्षेत्रफल मे से अन्य उपयोग का क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	--



रजिस्ट्रीकरण एव स्टाम्प विभाग  
मध्य प्रदेश




भारत मुद्रा :



*Ankit*



ANKIT JAIN






रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग  
मध्य प्रदेश

क्या भूखण्ड केवल आवासीय सह व्यावसायिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है

नहीं

कुल मुद्रांक एवं छूट

छूट मुद्रांक शुल्क (रु)	0.0	छूट पंजीयन शुल्क (रु)	0.0
कुल देय शुल्क (रु)	101270.0	कुल देय पंजीयन शुल्क	26775.0
प्रतिफल राशि (रु)			2000000





# मध्य प्रदेश

स्टाम्प शुल्क मुद्रा:


स्टाम्प शुल्क	55700
नगरीय शुल्क	20000
जनपद पंचायत शुल्क	20000
उपकर	5570
अतिरिक्त शुल्क	0
चुकाया गया स्टाम्प शुल्क	101270

VIVEK DIGAMBAR H  
उप पंजीयक  
उप पंजीयक कार्यालय इन्द

मैं/हम इस दस्तावेज के सभी पृष्ठों के लिखारणों एवं प्रविष्टियों को, दस्तावेज के आईडी 19441735 तथा ई-स्टाम्प कोड 01011720102020008401 सहित, एलट्ट द्वारा अभिप्रेषित एवं पुष्टि करते हैं, तथा मेरे/अपने निम्नलिखित हस्ताक्षरों से इस दस्तावेज को निष्पादित भी करते हैं।

प्रथम पक्षकार/ पक्षकारों के हस्ताक्षर:  
नाम तथा पिता का नाम:

श्री अनुराध धारमारे पिता श्री अशोक धारमारे



द्वितीय पक्षकार/ पक्षकारों के हस्ताक्षर:  
नाम तथा पिता का नाम:

श्री नरेन्द्र पाटीदार पिता श्री रमण्डु पाटीदार




अन्य पक्षकार/ पक्षकारों के हस्ताक्षर:  
नाम तथा पिता का नाम:

मवाह 1 का नाम  
पता  
हस्ताक्षर  
आईडी का टाईप तथा नम्बर

लोकेसा S/O लालबहादुर राव  
Ahd- 5 गोधा लाली, वरपूर (म.प्र.)  
Ahd No. 6731 3193 6783


मवाह 2 का नाम  
पता  
हस्ताक्षर  
आईडी का टाईप तथा नम्बर

श्रीलाल कुमार S/O लीला कुमारी देवी  
Ahd- पंचदेव न. 102, मंगलम रिडी  
34, 38, वैष्णव साम लाली,  
वरपूर  
Ahd No. 3395 3608 1208





राजस्त्राकरण एव स्टाम्प विभाग  
मध्य प्रदेश






रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग  
मध्य प्रदेश

॥ जय श्रीकृष्ण ॥

भूखण्ड, नगर परिषद् क्षेत्र राऊ, तहसील व जिला इंदौर (म.प्र.) के अन्तर्गत स्थित कॉलोनी "अवध  
वाटिका" का भूखण्ड क्रमांक 131

पूर्व में - कॉलोनी का रोड

उत्तर में - भूखण्ड क्रमांक 130



दक्षिण में - भूखण्ड क्रमांक 132

पश्चिम में - भूखण्ड क्रमांक 112

*(Signature)*

*(Signature)*





राजस्ट्रीकरण एवम  
मध्य प्रदेश

पंजीकरण मुद्रा :

इस दस्तावेज का इलेक्ट्रॉनिक पंजीयन दिनांक 21/10/2020 को क्रमांक  
MP179092020A1681762 दे कर किया गया है। जिसमें 22 पृष्ठ समाविष्ट हैं

स्टाम्प शुल्क 101270

पंजीयन शुल्क 26775

प्रतिलिपि शुल्क 0

अधिक 0

योग 26775

VIVEK DIGAMBAR HIRDE

उप पंजीयक

उप पंजीयक कार्यालय इन्दौर ।



# पंजीयन एवं स्टाम्प विभाग (वाणिज्य कर) मध्य प्रदेश



होम डीआरएस डाउनलोड सेवाएं मदद साइट हमसे संपर्क करें शिकायत दर्ज करें

पंजीकरण की प्रक्रिया - शुरुआत

के रूप में लॉगइनrahul84

20 /10 /2020, 14:28:19

साइन आउट

गाईडलाईन  
संपत्ति मूल्यांकन और शुल्कगणना  
ई स्टाम्प  
सेवा प्रदाता  
स्लॉट आरक्षण  
दस्तावेज खोज/ प्रमाणित प्रति  
आपत्ति और बैंक प्रभार  
प्रमाणित प्रति  
पंजीयन की प्रक्रिया  
उपयोगकर्ता खाता प्रबंधन  
भुगतान  
डिजिटल हस्ताक्षर


पंजीयन फीस का भुगतान		
कुल देय पंजीयन फीस	कुल शेष पंजीयन फीस	कुल चुकाई गई पंजीयन फीस
26775.0	0.0	26775.0
<input type="button" value="अगला"/> <input type="button" value="रद्द करें"/>		

डिस्कलेमर: अन्तर्वस्तुएं पंजीयन व स्टाम्प विभाग द्वारा संग्रहित, संपादित तथा अद्वितीय। कॉपीराइट © 2014, आईजीआरएस, मध्यप्रदेश। सर्वाधिकार सुरक्षित। 1024 X 768 पिक्सेल्स में सर्वोत्कृष्ट रूप में दर्शित। (सेकंड में आवेदन प्रोसेसिंग समय :- 0.073) [F:T]

मै/हम इस दस्तावेज के सभी पृष्ठों के विवरणों एवं प्रविष्टियों को, दस्तावेज के आईडी 19441735 तथा ई-स्टाम्प कोड 01011720102020008401 सहित, एतद् द्वारा अभिप्रमाणित एवं पुष्टि करते हैं, तथा मेरे/अपने निम्नांकित हस्ताक्षरों से इस दस्तावेज को निष्पादित भी करते हैं।


प्रथम पक्षकार/ पक्षकारों के हस्ताक्षर:  
नाम तथा पिता का नाम:

श्री आयुष धारमारे पिता श्री अशोक धारमारे



द्वितीय पक्षकार/ पक्षकारों के हस्ताक्षर :  
नाम तथा पिता का नाम :

श्री नरेन्द्र पाटीदार पिता श्री रूखडु पाटीदार



अन्य पक्षकार/ पक्षकारों के हस्ताक्षर :  
नाम तथा पिता का नाम :

लोकेशा S/O लैलाक्षचंद्र 21675

गवाह 1 का नाम

पता

हस्ताक्षर

आईडी का टाईप तथा नम्बर

ADD- 5 गोधा लालोनी, रायपुर.  
(म.प्र.)

ADD NO. 6731 3193 6783

अंजित कुमार S/O लीति. कुमार पैन

गवाह 2 का नाम

पता

हस्ताक्षर

आईडी का टाईप तथा नम्बर


ADD- फ्लैट नं. 102, मेगलम रिही  
37, 38, बैलुग धाम लालोनी,  
रायपुर

ADD NO. 3395 3508 1208

॥ जय श्रीकृष्ण ॥

भूखण्ड, नगर परिषद् क्षेत्र राऊ, तहसील व जिला इंदौर (म.प्र.) के अन्तर्गत स्थित कॉलोनी "अवध वाटिका" का भूखण्ड क्रमांक 131



पूर्व में - कॉलोनी का रोड



उत्तर में - भूखण्ड क्रमांक 130

दक्षिण में - भूखण्ड क्रमांक 132

पश्चिम में - भूखण्ड क्रमांक 112



॥ जय श्रीकृष्ण ॥

**॥ स्वप्रमाणित प्रमाण-पत्र/शपथ पत्र ॥**


(म.प्र. रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा 22 क के अन्तर्गत)

मैं, आयुष धारमारे पिता श्री अशोक धारमारे, निवासी - 13, खजुरी बाजार, इंदौर (म.प्र.) शपथपूर्वक सत्य निष्ठा से कथन करता हूँ कि:-

1. यह कि, भूखण्ड, नगर परिषद् क्षेत्र राज, तहसील व जिला इंदौर (म.प्र.) के अन्तर्गत स्थित कॉलोनी "अवध वाटिका" का भूखण्ड क्रमांक 131 यहां पर स्थित है। उक्त भूखण्ड का साईज 7.00 मीटर बाय 15.00 मीटर होकर भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल 105.00 वर्गमीटर है। उक्त भूखण्ड खुला/रिक्त होकर उस पर किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं है। उक्त भूखण्ड आवासीय क्षेत्र में स्थित होकर आवासीय उपयोग-उपभोग का है। उक्त भूखण्ड के निकास की स्वतंत्र व्यवस्था सामने की ओर स्थित कॉलोनी की रोड़ से है। जिसे आगे उक्त संपत्ति कहा गया है।
- 2 यह कि, विक्रय की जा रही संपत्ति शपथगृहिता स्वामित्व व आधिपत्य की होकर हमारे द्वारा अथवा हमारे किसी प्रतिनिधि या समनुदेशित या अभिकर्ता (एजेन्ट) द्वारा प्रश्नाधीन संपत्ति को आज दिनांक से पूर्व किसी अन्य को विक्रय अनुबंध एवं मुखत्यार नामा या अन्य रीति से अंतरण नहीं किया गया है।
3. बिक्रीत संपत्ति शासकीय भूमि नहीं है।
4. बिक्रीत की जा रही संपत्ति को शासन द्वारा पट्टे पर ली गई नहीं है।
5. विक्रय पत्र में बिक्रीत संपत्ति किसी भी रूप में नजूल भूमि नहीं है।
6. विक्रय पत्र में बिक्रीत संपत्ति नगर भूमि सीमा अधिनियम के तहत अतिशेष शहरी सिंलिंग भूमि नहीं है।
7. विक्रय पत्र में बिक्रीत संपत्ति के विक्रय पर किसी भी न्यायालय द्वारा रोक नहीं है।
8. विक्रय पत्र में बिक्रीत संपत्ति के विक्रय द्वारा किसी भी प्रचलित विधि का उल्लंघन नहीं होता है।
9. विक्रय पत्र के पंजीयन से रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 22(क) के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं होता है।

दिनांक : 20/10/2020

हस्ताक्षर-शपथकर्ता



**सत्यापन**

उपर्युक्त वर्णित समस्त जानकारी पूर्णतः सही है, इसमें किसी प्रकार का कोई तथ्य नहीं छिपाया गया है।

दिनांक : 20/10/2020

हस्ताक्षर-शपथकर्ता

